2015/00170

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्थान–राज्य : ब नाम : श्री अनुपाराम पुत्र जीवनराम निवासी चक 4 एम.एन.भलूरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर किस्म मुकदमा आर्म्स एक्ट (रिमाण्ड प्रकरण न्याय शाखा) मुकदमा संख्या 01/15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आ दे श

22.01.2018 उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को पूर्व पेशी पर सुना गया।

अनुपाराम के अधिवक्ता का निवेदन है कि अप्रार्थी अनुपाराम के नाम से शस्त्र अनुज्ञा–पत्र संख्या 87/89 एस.डी.एम. (दक्षिण), बीकानेर द्वारा जारी शुदा है, जिस पर शस्त्र 12 बोर डी. बी.बी.एल.गन नं. 11533 दर्ज है, जो 30.6.13 तक नवीनीकृत है। लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 19.12.13 को खारिज करने पर प्रार्थी अनुपाराम द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष अपील संख्या 2/14 आर्म्स एक्ट प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 21.01.15 से रिमाण्ड की जाकर श्रीमान् को प्रेषित की गई है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग), बीकानेर के फोजदारी प्रकरण संख्या 880/09 में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय 25.02.11 अनुपाराम को परिविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है। अतः अनुज्ञा–पत्र नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि कार्यालय द्वारा प्रकरण पूर्व में परीक्षण हो कर आदेश दिनांक 19.12.13 से खारिज किया गया था। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय की पालना में प्रकरण में सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके तहत नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाना न्योचित होगा।

हमने उभयपक्ष के कथनो पर मनन किया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। शस्त्र नियमों के तहत सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा प्रकरण की जांच/परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें। मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा कार्यालय हाजा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर